A1.5

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत विकास खण्ड कपकोट में कमेडीदेवी से झाकरा तक लिंक मार्ग 3.00 किमी0 लम्बाई हेतु वन भूम प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग कमेडीदेवी स्यांकोर्ट मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से प्रारम्भ होता है जो कमेडीदेवी सेरी झाकरा ग्राम को जोडता है जिसकी कुल आबादी 698 है। जिसमें एस0सी0 की आबादी 252 है प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पांएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में 0.210 हेक्टेयर सिविल भूमि एवं 1.260 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन कमेडीदेवी स्यांकोट मोटर मार्ग के किमी0 1 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 02 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल कमेडीदेवी स्यांकोट मोटर मार्ग के किमी 1 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी0 आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 3 हियरपिन बैण्ड आते हैं तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 0.210 है0 एवं वन पचायत 1.260 है0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 3 किमी0 व चौडाई 7 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो नि वि कपकोट	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 कपकोट [बागेश्वर]